# राजस्थान सरकार
## कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

**कमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/सिंचाइ पाईप लाईन /2022–23/** 810 – 1006 **दिनांक :**07/04/22

**मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
**जिला परिषद, समस्त...................................**

**विषयः–** वर्ष 2022–23 मे विभिन्न योजनान्तर्गत सिंचाई पाईप लाईन कियान्वयन के दिशा निर्देश।
**प्रसंगः–** कृषि आयुक्तालय के पत्र क्रमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/ सिंचाई पाईप लाईन /2021–22/ 748–1010 दिनांक 12.04.2021।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा जल के कुशलतम उपयोग एवं राज्य के कृषकों को लाभान्वित करने हेतु एनएफएसएम योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 हेतु सिंचाई पाईप लाईन कार्यक्रम कियान्वयन के दिशा निर्देश कृषि आयुक्तालय द्वारा भिजवाये गये थे (संलग्न)। उक्त सिंचाई पाईप लाईन कार्यकम कियान्वयन के दिशा निर्देश वर्ष 2022–23 में भी प्रभावी रहेगें।

वर्ष 2022–23 में कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु भौतिक एवं वित्तीय प्रावधान अलग से भिजवाये जायेंगे। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा योजनाओं में परिवर्तनीय दिशा–निर्देश मान्य होंगे।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार।**

**(सोहन लाल शर्मा)**
**आयुक्त कृषि**

**कमांक एफ 8( )/आ.कृ./ जउप्र/सिंचाइ पाईप लाईन/ 2022–23/** 810 – 1006 **दिनांक :**07/04/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ई.जी.एस., राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, समस्त......................।
9. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा/इंगानप बीकानेर।
10. जिला कलक्टर, समस्त....................।
11. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, नेहरू प्लेस, टोंक रोड़, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर/कोटा ।
13. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ़ ।
14. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।
15. निदेशक, आत्मा, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्था परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
16. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/उद्यान, मु0 जयपुर।
17. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन /आदान/विस्तार/एनएमओओपी/सांख्यिकी/पौ0स0/रसायन/फसल बीमा, मुख्या. जयपुर।
18. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) समस्त...................... खण्ड स्तरीय समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगे।
19. परियोजना निदेशक कृषि(वि.), सी.ए.डी. कोटा।
20. प्रबन्ध निदेशक सहकारी भूमि विकास बैंक, सहकार भवन, बाइस गोदाम, जयपुर।
21. उप निदेशक कृषि (सूचना/सांख्यिकी) मु. जयपुर।
22. ए.सी.पी, कृषि आयुक्तालय को लेख है कि विभागिय वैब साईट पर अपलोड करावे।
23. उप निदेशक कृषि (विस्तार), सिं.क्षे.वि. बीकानेर/कोटा।
24. समस्त परियोजना/उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगे।
25. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), ......................................

**(ईश्वर लाल यादव)**
**संयुक्त निदेशक कृषि**
**जल उपयोग प्रकोष्ठ**

# राजस्थान सरकार
## कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/सिंचाइ पाईप लाईन /2021–22/748-1010 दिनांक : 12.04.2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त.................................

**विषयः– वर्ष 2021–22 मे विभिन्न योजनान्तर्गत सिंचाई पाईप लाईन क्रियान्वयन के दिशा निर्देश।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एनएफएसएम(गेहूँ)/एनएफएसएम(दलहन)/एनएफएसएम (ओ.एस) योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में सिंचाई पाईप लाईन क्रियान्वयन के क्रम मे जल के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग हेतु राज्य के कृषकों को लाभान्वित करने हेतु सिंचाई पाईप लाईन क्रियान्वयन के दिशा निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे है।

दिशा निर्देशों के अनुसार प्रगति प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ई–मेल व हार्ड कापी मे भिजवाया जाना सुनिश्चित् करावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

22/4/21

(डॉ. ओम प्रकाश)
आयुक्त कृषि

क्रमांक एफ 8( )/आ.कृ./ जउप्र/सिंचाइ पाईप लाईन/ 2021–22/748-1010 दिनांक : 12.04.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ई.जी.एस., राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, समस्त......................।
9. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा/इंगानप बीकानेर।
10. जिला कलक्टर, समस्त...................।
11. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, नेहरू प्लेस, टोंक रोड़, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर/कोटा ।
13. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ़ ।
14. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।
15. निदेशक, आत्मा, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्था परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
16. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/उद्यान, मु0 जयपुर।
17. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन /आदान/विस्तार/एनएमओओपी/सांख्यिकी/पौ0स0/रसायन/फसल बीमा, मुख्या. जयपुर।
18. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) समस्त...................... खण्ड स्तरीय समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेंगे।
19. परियोजना निदेशक कृषि(वि.), सी.ए.डी. कोटा।
20. प्रबन्ध निदेशक सहकारी भूमि विकास बैंक, सहकार भवन, बाइस गोदाम, जयपुर।
21. उप निदेशक कृषि (सूचना/सांख्यिकी) मु. जयपुर।
22. ए.सी.पी. कृषि आयुक्तालय को लेख है कि विभागिय वैब साईट पर अपलोड करावे।
23. उप निदेशक कृषि (विस्तार), सिं.क्षे.वि. बीकानेर/कोटा।
24. समस्त परियोजना/उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगे।
25. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), ......................................

(ईश्वर लाल यादव)
संयुक्त निदेशक कृषि
जल उपयोग प्रकोष्ठ

## कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

## सिंचाई पाईप लाईन कार्यक्रम कियान्वयन वर्ष 2021–22 हेतु दिशा–निर्देश

राज्य में उपलब्ध सिंचाई जल के कुशलतम् उपयोग द्वारा जल संरक्षण कर अधिक क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराना तथा प्रति इकाई जल से अधिक लाभ प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है। कृषि क्षेत्र में सिचाई पाईप लाइन के उपयोग से 20 से 25 प्रतिशत सिंचाई जल की बचत होती है। सिंचाई जल के कुशलतम उपयोग एवं जल संरक्षण के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(गेहूँ)/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(दलहन), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(ओ.एस) एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओ के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में सिंचाई पाइप लाइन कार्यक्रम कियान्वयन द्वारा राज्य के पात्र कृषकों को सिंचाई पाइप लाइन कय पर अनुदान देकर लाभान्वित किया जाना है।

### 1. अनुदान की पात्रता

1.1. भू स्वामित्वः कृषक के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिये।

1.2. जल स्त्रोतः कृषक के पास कुए पर विद्युत/डीजल/टैक्टर चलित पम्प सैट है वे अनुदान के पात्र होगें। सामलाती कुँए पर अलग–2 पम्प सैट होने पर या पम्प सैट सामलाती होने पर भी यदि सभी हिस्सेदार अलग–2 पाईप लाइन पर अनुदान की मॉग करते है तो अलग–अलग अनुदान देय होगा। सामलाती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों को स्त्रोत से एक ही पाईपलाइन दूर तक ले जाने में सभी कृषकों को अलग–2 अनुदान देय होगा।

1.3. जो क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा नहर/बॉध से पम्प सैट द्वारा पानी लिफ्ट करके सिंचाई करने हेतु अधिसूचित है उन क्षेत्रों में भी सिंचाई हेतु पाईप लाइन पर अनुदान देय होगा।

1.4. जिन कृषकों के नाम से सिंचाई स्त्रोत नहीं है एवं ऐसे कृषक अन्य कृषक से जिसके नाम से सिंचाई स्त्रोत है, पानी लेकर अपने खेत पर पाईपलाइन स्थापित करना चाहते है तो ऐसे कृषकों द्वारा सिंचाई स्त्रोत वाले कृषक जिससे पानी लिया जा रहा है, से सादा पेपर पर एक प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा कि वह बिना सिंचाई स्त्रोत वाले कृषक को अपने सिंचाई स्त्रोत से पानी उपलब्ध कराता रहेगा।

1.5. कृषि विभागीय योजनाओ के अन्तर्गत निर्मित जल स़्त्रोत(डिग्गी, फार्म पौण्ड एवं जल हौज) होने पर भी अनुदान देय होगा।

1.6. अनुदान उसी कृषक को देय होगा जिसने पूर्व में इस योजना पर अनुदान नहीं लिया हो।

### 2. अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज

2.1. ऑन–लाईन किये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ कृषक को एक फोटो, जमाबन्दी की नकल/राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त स्वामित्व की पासबुक की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

2.2. अजा/अजजा के कृषक जाति प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति अथवा भूमि स्वामित्व की पास बुक जिसमें कृषक श्रेणी/वर्ग का उल्लेख हो प्रस्तुत करेंगे।

2.3. कृषक को अनुदान हेतु जन आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा।

## 3. अनुदान हेतु पाइप लाइन का विवरण

3.1. कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक/विक्रेता से बी.आई.एस. मार्का पाईप नकद या बैंक से ऋण लेकर क्रय करने एवं अपने खेत पर सफलतापूर्वक स्थापित करने पर ही कृषकों को अनुदान देय होगा।

3.2. अनुदान पर वितरित किये जाने वाले प्रत्येक पाईप पर निर्मित वर्ष, अनुदान पर वितरित का Emboss करना होगा तथा औचित्य वर्ष में निर्मित एवं विक्रय किए गए पाईपों पर नियमानुसार अनुदान देय होगा साथ ही औचित्य वर्ष में निर्मित पाईपों में से शेष रहे पाईपों पर अनुदान अगले वित्तीय वर्ष में भी देय होगा।

3.3. वित्तीय वर्ष में निर्मित शेष रहे स्टॉक की सूचना संबंधित निर्माता द्वारा जिलें के उप निदेशक एवं सहायक निदेशक कृषि (वि.) कार्यालय में आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेंगे। सूचना के अभाव में अनुदान देय नहीं होगा।

3.4. वित्तीय वर्ष में पाईप निर्माताओं द्वारा जिले में चयनित डीलर्स के माध्यम से पाईपों की अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) की सूची उप निदेशक एवं सहायक निदेशक कृषि (वि.) कार्यालय को भिजवायी जायेगी तथा डीलर द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जावेगा की MRP से अधिक का बिल नहीं काटा जायेगा।

3.5. अनुदान प्रकिया में शामिल बी.आई.एस. मार्का पाईप लाईन का विवरण निम्नानुसार है–

| | अवयव | आई.एस. कोड | विवरण |
|---|---|---|---|
| पाईप लाइन | पाईप | 4984 /14151 Pt I एवं II : 1999 | एच.डी.पी.ई. सिंचाई पाईप |
| | | 4985(4 किग्रा/सेमी$^2$ –63 एमएम व इससे अधिक) तथा (2.5किग्रा/ सेमी$^2$ –90 एमएम व इससे अधिक) | जल आपूर्ति हेतु पी.वी.सी. सिंचाई पाईप |
| | | IS 16190 : 2014 ( 63 एमएम व इससे अधिक तथा 200 एमएम व इससे अधिक ) | जल आपूर्ति हेतु HDPE उच्च घनत्व पालीइथाईलीन लेमिनेटेड बुनी ले फ्लैट ट्यूब सिंचाई पाईप |

3.6. अनुदान 63 मिलीमीटर या 63 मिलीमीटर से अधिक व्यास के पाईपों पर ही देय होगा।

**4. अनुदान की सीमा**

4.1. सिंचाई पाईपलाइन पर स्त्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए समस्त श्रेणी के कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रू. 50/– प्रति मीटर एचडीपीई पाईप पर या राशि रू. 35/– प्रति मीटर पीवीसी पाईप पर या राशि रू. 20/– प्रति मीटर एचडीपीई लेमिनेटेड ले फ्लेट ट्यूब पाईप पर, अधिकतम राशि रूपये 15000/– जो भी आनुपातीक रुप से कम हो, अनुदान देय होगा।

**5. आवेदन प्रकिया**

5.1. कियोस्क के माध्यम से आवेदन

5.1.1. कृषक नजदीकी ई मित्र केन्द्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकेगा।

5.1.2. कियोस्ककर्ता आवेदन पत्र को ई–प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (scan & upload) करेगा।

5.1.3. कियोस्ककर्ता आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद देगा।

5.1.4. संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा, उपलब्ध आवेदन पत्रों को डाउनलोड कर आवश्यक कार्यवाही करनी होगी एवं समय समय पर आवेदनों की वस्तु स्थिति (status) का अद्यतन (update) करना होगा।

5.1.5. इन सेवाओं से संबंधित वस्तु–स्थिति (status) एवं आदेश/प्रमाणपत्र/मंजूरी इत्यादि आवेदकों को ऑन–लाइन उपलब्ध करवायी जायेगी। जिसे आवेदकों द्वारा कियोस्क या स्वयं के माध्यम से छापकर (print-out) प्राप्त किया जा सकता है।

5.1.6. ऑफ लाईन आवेदन पत्र नहीं लिये जावेगें।

**5.2. आवेदक द्वारा स्वयं ही ऑन लाईन आवेदन**

5.2.1. आवेदक ऑन–लाईन एसएसओ आई डी के माध्यम से लॉगीन कर जनआधार कार्ड संख्या के द्वारा ई–प्रपत्र (e-Form) में आवेदन पत्र को भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (scan & upload) करेगा।

5.2.2. आवेदक आवेदन पत्र ऑन–लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन–लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।

**6. आवेदनों का निस्तारण एवं भौतिक सत्यापन**

6.1. ऑन लाईन आवेदन से संबंधित रिकार्ड प्राप्त होने पर कार्यालय स्तर पर आवेदन पत्र के सभी बिन्दुओं व आवश्यक प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के आधार पर सुनिश्चित किया जावे कि :–

6.2. सामान्यतया जिलों में पहले आओं – पहले पाओं के आधार पर ही आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा, लेकिन जिलों में आवेदन लक्ष्यों से डेढ गुना से अधिक प्राप्त होते है तो लॉटरी निकाली जायेगी।

6.3. आयुक्तालय स्तर से जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार लॉटरी प्रकिया सम्पादित की जावें। उक्त हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी किये जा रहे है।

6.4. संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय द्वारा अनुदान हेतु पात्र, पाईपलाइन की पत्रावलियों का 15 दिवस मे कार्यवाही पूर्ण कराई जाकर कार्य कराये जाने हतु "प्रशासनिक स्वीकृति" जारी करेगा।

6.5. पात्र कृषक का फिल्ड स्तरीय निरीक्षण संबंधित सहायक कृषि अधिकारी / कृषि पर्यवेक्षक द्वारा सात दिवस में पूर्ण कर पत्रावली संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

6.6. प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के पश्चात खरीदी गयी सिंचाई पाईपलाइन पर ही अनुदान देय होगा। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के दिनांक से पहले खरीदी गयी सिंचाई पाईपलाइन पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।

6.7. सिंचाई पाईपलाइन क्षेत्र में स्थापित होंने से पूर्व व स्थापित होंने के बाद जियोटेंगिग की जानी है। जियोटेगिंग प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु मोबाईल पर My GPS Coordinates App. डाउनलोड़ किया जावे। अनुदान हेतु पात्र एवं चयनित कृषक के निर्धारित जल स्त्रोत तथा उपयोग क्षेत्र के निश्चित स्थल पर उपरोक्त App. के माध्यम से Latitude व Longitude नोट किये जाकर जिला स्तर/उप खण्ड कार्यालय स्तर पर रिकॉर्ड में संधारित किया जावे। पाईप लाईन क्षेत्र में स्थापित होंने से पूर्व व स्थापित होंने के बाद से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर जियोटेगिंग कर कृषक खेत का नक्शा मय खसरा संख्या तथा पाईप लाईन स्थापित किये जाने का लोकेशन आदि भी अंकित करेंगे।

6.8. सभी श्रेणी के कृषक अनुदान के पात्र होंगे जिसमें आवंटित कुल लक्ष्यों में से, अनुसूचित जाति को 17.83 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति को 13.48 प्रतिशत, महिला श्रेणी कृषकों को 30 प्रतिशत एवं लघु/सीमान्त कृषकों को 33 प्रतिशत प्राथमिकता प्रदान की जावे।

6.9. लघु/सीमान्त/अजा/अजजा/महिला कृषकों की श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी के प्रमाण–पत्र के अभाव में सहायक निदेशक, कृषि (वि.)/उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद् अपने स्तर पर जमाबन्दी/पासबुक के आधार पर कृषक के जोत/जाति/लिंग/श्रेणी का निर्धारण करते हुए अनुदान स्वीकृत कर सकते है। जमाबंदी की नकल छाया प्रति छः माह से अधिक अवधि की नहीं होनी चाहिये।

6.10. कृषक द्वारा सिंचाई पाईप लाईन कय किये जाने के उपरान्त भौतिक सत्यापन क्षेत्र के सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी/ संबंधित क्षेत्रिय कृषि पर्यवेक्षक (किसी एक के द्वारा) के द्वारा कराया जा सकता है। भौतिक सत्यापन में कृषक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

6.11. भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में आवेदन पत्र पर मौके पर ही रिपोर्ट मय नाम, पदनाम, निरीक्षण दिनांक, पाईप का मेन्यूफैक्चरिंग बैच नम्बर, कम्पनी का ISI मार्का नम्बर (सी.एम.एल. नम्बर) कम्पनी का ब्रांड नाम व मैक तथा कृषक द्वारा पूर्व में पाईपलाइन पर अनुदान नहीं दिये जाने का प्रमाण पत्र अंकित किया जावें।

6.12. कृषकों द्वारा एक ही ब्रांड नाम व मैक की पाईपलाइन कय किये जाने पर अनुदान देय होगा।

6.13. कृषकों द्वारा पी.वी.सी. पाईपलाइन को भूमि में दबाना आवश्यक है। खेत पर पी.वी.सी. पाईपलाइन स्थापित करने के लिए खोदी गयी ट्रेंच में पाईप दबाने से पूर्व संबंधित क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी या कृषि अधिकारी या सहायक निदेशक, कृषि द्वारा (एक ही कार्मिक या अधिकारी द्वारा) भौतिक सत्यापन किया जायेगा। पाईप को भूमि में दबाने के उपरान्त किया गया भौतिक सत्यापन मान्य नहीं होगा। तथा कृषक की फोटो भी पाईपलाइन के साथ खिंचवा कर अनुदान पत्र में चस्पा की जावें ।

6.14. भौतिक सत्यापन का वास्तविक उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि लाभार्थी द्वारा वास्तव में पाईपलाइन स्थापित कर लिया गया है तथा अनुदान का पात्र है। अतः भौतिक सत्यापन उद्देश्य परक होना चाहिए न कि प्रक्रियात्मक। चूँकि केवल एक ही कार्मिक/अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा अतः इसे पूर्ण उत्तरदायित्व से किया जाना अपेक्षित है।

6.15. कृषक जिसके द्वारा फव्वारा संयंत्र एवं एचडीपीई पाईप एक साथ क्रय किये गये है, भौतिक सत्यापन में फव्वारा एवं पाईपलाइन के पाइपों का अलग–अलग भौतिक निरीक्षण कर सत्यापन कार्य किया जावें ।

6.16. दिशा निर्देशों की नियमानुसार पालना करते हुये आवेदन पत्र के सभी बिन्दुओं व दिए गए प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की जांच एवं भौतिक सत्यापन पश्चात् संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) वित्तिय स्वीकृति जारी करते हुए कृषकों को स्वीकृत अनुदान राशि का भुगतान केवल आदाता के खाते में देय (A/c payee only) होगा।

6.17. यदि भौतिक सत्यापन के समय सिंचाई पाईप लाईन विभागिय मापदण्ड के अनुरुप नहीं है तो इसकी सूचना आवेदनकर्ता कृषक को मय मापदण्ड व कारण सहित हस्तगत कराई जावेगी।

6.18. कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिये जाने के उपरान्त पाईप लाईन के रख रखाव व मरम्मत कार्य की समस्त जिम्मेदारी स्वयं कृषक की होगी।

6.19. संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) खण्ड द्वारा 2 प्रतिशत, उप निदेशक कृषि (वि.) द्वारा 5 प्रतिशत, संबंधित सहायक निदेशक कृषि (वि.) द्वारा 5 प्रतिशत, कृषि अधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत, सहायक कृषि अधिकारी द्वारा 30 प्रतिशत तथा संबंधित क्षेत्रिय कृषि पर्यवेक्षक द्वारा शत–प्रतिशत निरीक्षण किया जावेगा।

6.20. पाईपलाइन कार्यक्रम हेतु अनुदान राशि का भुगतान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(गेहूँ)/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(दलहन) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(ओ. एस) योजनान्तर्गत ही देय होगा।

6.21. जिला स्तर पर आवेदित कृषकों के समस्त रिकार्ड का संधारण किया जावेगा।

6.22. उप निदेशक कृषि (विस्तार) प्रत्येक मॉह की कार्य योजना तैयार की जाकर क्षेत्रीय अधिकारियो / कर्मचारियो से विचार विमर्श कर निर्धारित कार्यो की समय–2 पर समीक्षा कर प्रत्येक माह प्रगति से खण्डीय कार्यालय को अवगत करायेगे।

6.23. सिंचाई पाईप लाईन कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी मामले के विवाद में आयुक्त कृषि, जयपुर का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा । न्यायिक मामलों में क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

6.24. "पाईप लाईन पर अनुदान उपरान्त भुगतान किये जाने के साथ लाभान्वित कृषक सूची कृषि आयुक्तालय की ए.सी.पी. शाखा को भिजवाया जाना अनिवार्य होगा। उक्त सूची विभाग की वेब पोर्टल पर अपलोड की जावेगी।"

6.25. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) के द्वारा आवंटित लक्ष्यों का विभाजन ब्लॉकवार एवं पंचायतवार किया जावेगा जिसका अनुमोदन जिला कार्यालय के माध्यम से खण्डीय संयुक्त निदेशक कार्यालय से प्राप्त किया जावेगा।

6.26. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) को आवंटित लक्ष्यो में मांग/सर्मपण, उप निदेशक कृषि (विस्तार) के माध्यम से भिजवाने पर ही मुख्यालय स्तर से परिर्वतन किया जा सकेगा।

6.27. जिले को आवंटित लक्ष्यों मे 10–15 प्रतिशत श्रमिक कार्य **मनरेगा** के माध्यम से पूर्ण कराये जावे। जिले में कृषक द्वारा पीवीसी पाईनलाइन क्रय किये गये पाइपों को भूमि में दबाये जाने का श्रमिक कार्य मनरेगा के माध्यम से कराये जाने पर प्राथमिकता प्रदान की जाकर लक्ष्यों की पूर्ति की जावें ।

6.28. महात्मा गॉधी नरेगा योजनान्तर्गत कृषि विभाग द्वारा अभिसरण अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियो के कियान्वयन के संबंध मे कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी पत्र कमांक प8(5) आ.कृ./ज.उ.प्र./मनरेगा/2020–21/1084–1207 दिनांक 28.01.2021 (संलग्न परिशिष्ट–1) के अनुसार दिशा–निर्देशो का पालन किया जाकर कार्य पूर्ण कराये जावे। दिशा निर्देश कृषि विभाग की वेब साईट पर भी अपलोड है।

6.29. पाईपलाइन योजनान्तर्गत आंवटित लक्ष्यों से अधिक पाईपलाइन के भुगतान हेतु विभाग बाध्य नहीं है तथा आंवटित भौतिक/वित्तीय सीमा में सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों का नियमानुसार अनुपात भी सुनिश्चित् किया जावें।

6.30. कृषि आयुक्तालय से उप जिले को आवंटित निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों में वर्ष 2020–21 की लम्बित देनदारियों को कम करते हुऐ ही वर्ष 2021–22 के लिए शेष भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण उप जिला स्तर पर करते हुए कार्यक्रम का क्रियान्वयन करें।

6.31. वर्ष 2020–21 की लम्बित देनदारियों का निस्तारण प्राथमिकता से करें तथा देनदारियों के लिए किसी भी स्थिति में कृषि आयुक्तालय से वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान उप जिलेवार निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों के अतिरिक्त अन्य लक्ष्यों/बजट का आवंटन नहीं किया जायेगा।

6.32. वित्तीय वर्ष 2020–21 में उप जिलें को आवंटित निर्धारित लक्ष्यों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को केवल बजट अभाव के कारण शेष रही पत्रावलियाँ ही वित्तीय वर्ष की लम्बित देनदारी में मानी जायेगी।

6.33. योजना के प्रावधान अनुसार उप जिलें को आवंटित निर्धारित लक्ष्यों के मध्यनजर ही प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावे भौतिक लक्ष्य वित्तीय सीमा तक बढाये जा सकते है। किसी भी स्थति में संबंधित कार्यालयों को आवंटित वित्तीय प्रावधानों से अधिक प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की जावे।

6.34. प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने के पश्चात यदि कृषक द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो कृषक को नोटिस जारी करते हुऐ उक्त जारी प्रशासनिक स्वीकृति को नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही की जावे तथा वरियता क्रम में आने वाले अगले कृषक की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावे।

6.35. वित्तीय वर्ष में जारी प्रशासनिक स्वीकृति पर यदि कृषक द्वारा 31 मार्च तक कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो उक्त जारी प्रशासनिक स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। इस हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी करते समय प्रशासनिक स्वीकृति में यह स्पष्ट उल्लेख किया जावे की **उक्त जारी प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध यदि 31 मार्च तक कृषक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो उक्त प्रशासनिक स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी।**

# Work Flow Chart

# Pipe Line

Pipe Line Application Received

↓ 7 Day

Document Scrutiny Approve

↓ 10 Day

Pre Verification

↓ 5 Day

A/S Generated

↓ 1 Month Maximum

Pipe Line established Completed by Farmer

↓ 10 Day

Post Verification

↓ 10 Day

F/S issue

D:\New folder (2)\2021-22\AGRI. All Guide lines . WUC\2021-22\2021-22\GL Pipe Line -12.04.2021.docx

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ8(5)/आ0कृ0/ज0उ0प्र0/मनरेगा/2020–21/1084–1207 दिनांकः–28/01/202

## परिपत्र

विषयः– मनरेगा, कृषि एवं उद्यान विभाग के तहत् फार्म पौण्ड एवं अन्य गतिविधियों के अभिसरण एवं क्रियान्वयन बावत्।

वर्षा जल को खेत में ही संरक्षित करने की दृष्टि से खेत के ढाल को ध्यान में रखते हुए निचले क्षेत्र में कच्चा फार्म पॉण्ड/खेत तलाई व प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड का निर्माण वर्तमान में कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है।

सामान्यतः 20x20x3 (1200 घन मीटर) आकार के पॉण्ड तैयार करवाये जाते हैं। फार्म पॉण्ड की लम्बाई, चौड़ाई मौके की स्थिति के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। गहराई कम से कम 3 मीटर रखी जाना आवश्यक है। फार्म पौण्ड का आयतन 400 घनमीटर से कम नहीं होना चाहिए।

<u>मनरेगा के तहत् गतिविधि हेतु विभागवार निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है।</u>

1. फार्म पौण्ड खुदाई का कार्य– कृषि विभाग एवं किसान द्वारा
2. खुदाई उपरान्त मिट्टी उठाना, बाहर डालना एवं फिनिसिंग कार्य–महात्मा गाँधी नरेगा योजना से
3. प्लास्टिक शीट लगवाने का कार्य–कृषि एवं मनरेगा विभाग द्वारा
4. फार्म पौण्ड के लिए सोलर पम्प की स्थापना– उद्यान विभाग
5. फल बगीचे का विकास (फसल विविधिकरण)–उद्यान विभाग द्वारा
6. फव्वारा/ड्रिप की स्थापना–उद्यान विभाग/कृषि विभाग

नोटः–

1. गतिविधि क्रम संख्या 1, 2 व 3 का कृषक को आवश्यक रूप से की जानी है।
2. गतिविधि क्रम संख्या 3, 4 व 5 का कृषक द्वारा स्वाच्छिक रूप से चयन किया जा सकता है।

<u>फार्म पौण्ड पर लागत एवं अनुदान</u>

**(i). कच्चा फार्म पौण्ड–** राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन के दिशा–निर्देशानुसार कच्चे फार्म पौण्ड आकार 1200 घनमीटर की कुल ईकाई लागत राशि रू. 1.05 लाख का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 52,500/–राशि । फार्म पौण्ड के लिए लागत का

10 प्रतिशत अतिरिक्त टॉप–अप अनुदान राशि रूपये 10,500/–अधिकतम कुल अनुदान राशि रूपये 63,000/– कृषकों को कृषि विभाग द्वारा दिया जा रहा है।

**(ii).** प्लास्टिक फार्म पौण्ड– राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन के दिशा–निर्देशानुसार कच्चे फार्म पौण्ड आकार 1200 घनमीटर की कुल ईकाई लागत राशि रू. 1.50 लाख का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 75,000/–राशि । फार्म पौण्ड के लिए लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त टॉप–अप अनुदान राशि रूपये 15,000/–अधिकतम कुल अनुदान राशि रूपये 90,000/–कृषकों को कृषि विभाग द्वारा दिया जा रहा है।

<u>विभिन्न विभागों द्वारा अभिसरण के अन्तर्गत फार्म पौण्ड निर्माण पर दिया जाने वाला प्रस्तावित अनुदान</u>

| फार्म पौण्ड | पी.एम.के.एस. वाई. अनुदान राशि रू. में | मनरेगा अनुदान राशि रू. में | स्टेट टॉप–अप अनुदान राशि रू. में | कुल अनुदान राशि रू. में |
|---|---|---|---|---|
| कच्चा फार्म पौण्ड | 26250 (25%) | 26250 (25%) | 10500 (10%) | 63000 (60%) |
| प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड | 48750 (32.50%) | 26250 (17.50%) | 15000 (10%) | 90000 (60%) |

1. <u>अभिसरण की जाने वाली गतिविधियों के तहत् विभाग वार किये जाने वाले कार्य एवं अनुदान राशि</u>

**(i)** फार्म पौण्ड खुदाई का कार्य–

फार्म पौण्ड खुदाई का कार्य जे0सी0बी0/ट्रैक्टर द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं स्टेट टॉप–अप हिस्सा राशि से किया जाना प्रस्तावित है। कच्चा फार्म पौण्ड पर पी.एम.के.एस.वाई. एवं राज्य टॉप–अप अनुदान पर अधिकतम राशि रू. 36750/–एवं प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड की खुदाई एवं प्लास्टिक लाईनिंग पर अधिकतम अनुदान राशि रू. 63750/–देय है, शेष राशि कृषक द्वारा वहन की जावेगी।

**(ii)** फार्म पौण्ड खुदाई के उपरान्त दिवारों की छंटाई व मिट्टी उठाकर बाहर निकालने का कार्य मनरेगा मजदूरों द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा योजना से किया जाना प्रस्तावित है। मनरेगा के तहत् कच्चे एवं प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड हेतु राशि रू. 26250/– देय है, शेष राशि कृषक द्वारा वहन की जावेगी।

(iii) फार्म पौण्ड पर पी.एम.के.एस.वाई., राज्य टॉप–अप एवं मनरेगा अनुदान के अतिरिक्त अन्य व्यय कृषक द्वारा वहन किया जायेगा।

(iv) फार्म पौण्ड पर लगाया जाने वाला बोर्ड, चारों तरफ की जाने वाली फैन्सिग तथा अन्य व्यय कृषक द्वारा वहन किया जाएगा।

(v) फार्म पौण्ड के लिए सोलर पम्प की स्थापना–सोलर पम्प की स्थापना उद्यान विभाग द्वारा सोलर पम्प सेट लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसपर 3 एचपी सौर ऊर्जा पम्प हेतु कुल ईकाई लागत डीसी मैन्युअल लागत राशि रू. 1.50 लाख इकाई लागत का 60 प्रतिशत या 90,000/–अनुदान राशि उद्यान विभाग द्वारा देय है।

2. फल बगीचे का विकास (फसल विविधिकरण)–उद्यान विभाग द्वारा उद्यान विभाग द्वारा फल बगीचों (ऑवला, बेर, नींबू, आम व अनार) पर ईकाई लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम राशि रू. 40,000/–प्रति हैक्टर अनुदान देय है, जिसमें प्रथम वर्ष 60 प्रतिशत एवं द्वितीय एवं तृतीय वर्ष 20 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अनुदान देय है।

3. फव्वारा/ड्रिप की स्थापना–

(i). फव्वारा सिंचाई संयंत्र –फव्वारा पर लघु एवं सीमांत किसानों को पीएमकेएसवाई में निर्धारित ईकाई लागत राशि रू. 19542/–से 21901/–प्रति हैक्टर का 55 प्रतिशत तथा अन्य किसानों को 45 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान देय है। पीएमकेएसवाई में देय अनुदान के अतिरिक्त सभी श्रेणी के किसानों को 5 प्रतिशत स्टेट टॉप–अप अनुदान भी देय है। उद्यान विभाग/कृषि विभाग द्वारा देय होगा।

(ii). ड्रिप सिंचाई संयंत्र–फलदार पौधों (6X6 मीटर की दूरी पर रोपित) पर ईकाई लागत राशि रू. 1.09 लाख प्रति हैक्टर का लघु सीमान्त कृषकों को 70 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान देय है। उद्यान विभाग द्वारा देय होगा।

<u>फार्म पौण्ड गतिविधियों के अभिसरण के तहत कुल लागत राशि</u>

(i). कच्चा फार्म पौण्ड पर कुल लागत राशि=रू. 105000+150000+100,000+109000= कुल राशि रू. 464000/–

(ii). प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर कुल लागत राशि=रू. 150000+150000+100,000+109000= कुल राशि रू. 509000/–

**फार्म पौण्ड गतिविधियों के अभिसरण के तहत कृषक को देय अधिकतम अनुदान राशि**

(i). कच्चा फार्म पौण्ड पर कुल देय अनुदान राशि=रू. 63,000+90,000+40,000+76300=कुल राशि रू. 269300/-

(ii). प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर कुल देय अनुदान राशि=रू. 90,000+90,000+40,000+76300= कुल राशि रू. 296300/-

4. **राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से पत्रावली निस्तारण व अनुदान**

योजनान्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति सम्बन्धित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाईन प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाकर, फार्म पौण्ड निर्माण उपरान्त भौतिक सत्यापन करने के बाद वित्तीय स्वीकृति जारी की जाऐगी।

5. **मनरेगा के तहत अभिसरण**

योजना के अन्तर्गत विभागवार संबंधित गतिविधि का मनरेगा से अभिशरण का कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के नेतृत्व में किया जायेगा। आयुक्तालय स्तर से मनरेगा व प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन किया जायेगा।

सम्बन्धित विभाग विभिन्न योजनान्तर्गत अधिक से अधिक श्रम प्रदान कार्यों का मनरेगा से कन्वर्जेन्स कर क्रियान्विती करावें। अतः इस संयुक्त प्रपत्र पर त्वरित तथा प्राथमिकता से पालना सुनिश्चित की जावें।

(रोहित कुमार सिंह)
अति0 मुख्य सचिव
ग्रा.वि. एवं पं.रा. विभाग

(कुंजीलाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
कृषि, उद्यानिकी एवं पं.रा. विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि उद्यानिकी एवं पं.रा. विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त ई.जी.एस.।
7. निजी सचिव, आयुक्त एवं सचिव पंचायती राज विभाग।

8. निजी सचिव, आयुक्त कृषि राजस्थान।
9. निजी सचिव, निदेशक उद्यानिकी राजस्थान।
10. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ई.जी.एस. समस्त राजस्थान।
11. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ई.जी.एस. एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
12. अतिरिक्त निदेशक कृषि, आदान/विस्तार/अनुसंधान आयुक्तालय जयपुर।
13. अतिरिक्त निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड समस्त।
15. उप निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद समस्त।
16. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को भेजकर लेख है कि अपने विभागीय वैब–साईट पर अपलोड करावें।

(डा0 ओम प्रकाश)
आयुक्त कृषि